

# WE ARE YOUR DOL



Department  
of Labor

श्रम मानक विभाग

## इलेक्ट्रॉनिक सूचना का विकल्प

अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रम मानक विभाग से नोटिस पाना चाहते हैं, तो यह फ़ॉर्म भरें।

§ 33. नोटिस की सेवा। 1. किसी भी अन्य कानून, नियम या विनियम के होते हुए भी, जब भी आयुक्त या बोर्ड या इस अध्याय के प्रावधानों से प्रभावित किसी व्यक्ति को यदि किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप से नोटिस देना आवश्यक हो, तो इस तरह के नोटिस को डाक द्वारा उस व्यक्ति के व्यवसाय के पिछले ज्ञात स्थान पर किसी पत्र में दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को पत्र सौंप कर या इस सेक्शन के सबडिविजन दो के अनुसार व्यक्ति की सहमति से इलेक्ट्रॉनिक संचार के ज़रिए किया जा सकता है। पार्टनरशिप को दिए जाने वाले नोटिस को किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है, किसी कॉर्पोरेशन को नोटिस उसके किसी अधिकारी या एजेंट को दिया जा सकता है और सीमित देयता कंपनी को नोटिस उसके किसी सदस्य या एजेंट को दिया जा सकता है, जिस पर नागरिक अभ्यास कानून और नियमों द्वारा प्रदान की गई सेवा या इस सेक्शन के सबडिविजन दो के अनुसार इकाई की सहमति से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सम्मन दिया जा सकता है। किसी इकाई के लिए सहमति किसी पार्टनर, अधिकारी, एजेंट, सदस्य, स्वामी या अन्य ऐसे ही किसी व्यक्ति की ओर से दी जा सकती है। जब भी विभाग के किसी आदेश या मांग को लागू करने की ज़रूरत होती है, तो इसे नोटिस को लागू करने के लिए इसमें दिए गए तरीके से ही लागू किया जाएगा, ऐसा करने के लिए उपयुक्त आयु के किसी भी व्यक्ति को वितरित किया जाएगा और ऐसे आदेश से प्रभावित परिसर के विवेकाधिकार से प्रभावित होगा। मांग या इस सेक्शन के सबडिविजन दो के अनुसार व्यक्ति की सहमति से इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या अगर कोई व्यक्ति प्रभारी नहीं पाया जाता है, तो परिसर में स्पष्ट रूप से इसकी एक प्रति चिपका कर ऐसा किया जाएगा।

2. इस सेक्शन के उद्देश्यों के लिए, किसी व्यक्ति या संस्था को इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए सहमति के रूप में लिया जाएगा, अगर स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि नामांकन या पंजीकरण स्वैच्छिक है और यह कि वे मेल या व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से नोटिस पाना जारी रख सकते हैं जैसा कि इस सेक्शन में बताया गया है, इसके बजाय वे सकारात्मक रूप से केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से नोटिस पाने का फैसला कर सकते हैं।

तिथि:

व्यवसाय का नाम/ग्राहक व्यवसाय का नाम: \_\_\_\_\_

केस आईडी संख्या (यदि ज्ञात हो): \_\_\_\_\_

कंसेंटर का नाम: \_\_\_\_\_

कंसेंटर का शीर्षक: \_\_\_\_\_

यदि लागू हो तो एक चुनें: नियोक्ता अधिवक्ता  नियोक्ता लेखाकार

शिकायतकर्ता/दावेदार अधिवक्ता  अन्य: \_\_\_\_\_

सूचनाओं की प्राप्ति के लिए ईमेल पता: \_\_\_\_\_

न्यूयॉर्क राज्य श्रम कानून की धारा 33 के अनुसार, मैं इसके माध्यम से और स्वेच्छा से श्रम मानक विभाग से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस प्राप्त करने का निर्णय करता हूँ और/या सहमति देता हूँ। लेकिन ऊपर उल्लिखित मेल या सेवा के

अन्य माध्यमों से इसकी अनुमति नहीं देता हूँ।

सहमति देने वाले केहस्ताक्षर: \_\_\_\_\_